राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग

क्रमांक :– एफ 25(45)/परि/कम्प्यू/पार्ट–II/12/ 5801   जयपुर, दिनांक: 21-03-2016

कार्यालय आदेश 6 /2016

परिवहन कार्यालयों में वाहन चालक लाइसेंस एवं इससे संबंधित सेवाओं हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों का निस्तारण समयबद्ध तरीके से नहीं किया जा रहा है। ऐसा देखा गया है कि प्रत्येक कार्यालय द्वारा अलग–अलग समयावधी में आवेदन पत्रों का निस्तारण किया जाता है, तथा आवेदकों को स्मार्ट कार्ड आधारित लाइसेंस सामान्यतः 3 – 4 दिवस के अंतराल पर उपलब्ध करवाया जाता है। इससे ना केवल आवेदकों को कार्यालय में बार–बार आना पड़ता है अपितु आमजन अनाधिकृत व्यक्तियों के चंगुल में फंस जाते हैं जिससे विभाग की छवि भी धूमिल होती है।

2. वर्तमान में परिवहन कार्यालयों में लर्नर लाइसेंस, स्थाई चालक लाइसेंस, लाइसंस में नवीन श्रेणी का लाइसेंस जोड़ने, चालक लाइसेंस के नवीनीकरण, डुप्लीकेट लाइसेंस, चालक लाइसेंस में पता परिवर्तन इत्यादि सेवाओं हेतु आवेदन पत्र प्राप्त होते हैं। इन सेवाओं में लर्नर लाइसेंस के अतिरिक्त शेष सभी सेवाऐं स्मार्ट कार्ड पर जारी की जा रही हैं। स्मार्ट कार्ड आधारित वाहन चालक लाइसेंस सम्बन्धी सेवाओं हेतु परिवहन कार्यालयों में आने वाले आमजन को समयबद्ध, गुणवत्ता पूर्ण सेवा देने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है कि सभी परिवहन कार्यालयों में वाहन चालक लाइसेंस आवेदन पत्रों का निस्तारण समयबद्ध अवधि में किया जाकर आवेदकों को उसी दिन लर्नर लाइसेंस, अंतराष्ट्रीय ड्राईवर लाइसेंस एवं स्मार्ट कार्ड आधारित चालक लाइसेंस उपलब्ध करवाया जावे।

3. वर्तमान में चालक लाइसेंस एवम् इससे सम्बन्धित सेवाओं की प्राप्ति हेतु आवेदक द्वारा सर्वप्रथम कार्यालय में फीस जमा करवाई जाती है, इसके उपरांत कार्यालय में उसके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच की जाती है, तत्पश्चात् अगर आवेदन पत्र चालक लाइसेंस प्राप्त करने हेतु है तो उसका वाहन चालन परीक्षण किया जाता है। परीक्षण में पास होने वाले आवेदक की कार्यालय में फोटो एवं अन्य बायोमेट्रिक सूचनाएं कम्प्यूटर पर प्राप्त (Capture) की जाती हैं। इस प्रक्रिया के पूर्ण होने के पश्चात् आवेदक का चालक लाईसेंस तैयार कर आवेदक को स्मार्ट कार्ड उपलब्ध (deliver) करवाया जाता है।

4. यह भी देखा गया है कि कई बार आवेदक उसके स्तर पर अपेक्षित औपचारिकताओं की पूर्ति एक साथ नहीं करके इसे टुकड़ों में आगामी कार्यदिवसों पर पूर्ण करता है। कई बार आवेदक कार्यालय में फीस जमा करवाने के उपरान्त वाहन चालन परीक्षण हेतु कार्यालय में उपस्थित नहीं होता है। वहीं कई बार वाहन चालन परीक्षण में उत्तीर्ण होने के पश्चात्

कम्प्यूटर पर फोटो खिंचवाने तथा अन्य बायोमेट्रिक सूचनाओं हेतु भी कार्यालय में उपस्थित नहीं होता है। इन सारी औपचारिकताओं की पूर्ति नहीं होने के परिणामस्वरूप आवेदक को स्मार्ट कार्ड आधारित चालक लाइसेंस जारी किया जाना संभव नहीं हो पाता है। उक्त तथ्यों से यह स्पष्ट है कि प्रादेशिक/जिला परिवहन कार्यालयों में चालक लाइसेंस हेतु आने वाले आवेदकों को निम्न दो श्रेणियों में विभक्त किया जा सकता है:-

(क) प्रथम, ऐसे आवेदक जिनके द्वारा आवेदन से संबंधित समस्त औपचारिकताए पूर्ण की जा चुकी हैं, जिसमें आवेदक द्वारा निर्धारित फीस जमा हो चुकी हो, दस्तावेजों की जांच हो चुकी हो, जहां प्रार्थी के वाहन चालन परीक्षण की आवश्यकता हो वहां प्रार्थी इस परीक्षण में उत्तीर्ण हो चुका हो एवं उसका फोटो एवं बायोमेट्रिक सूचना प्राप्त की जा चुकी हो।

(ख) द्वितीय, ऐसे आवेदक जिनके द्वारा आवेदन से संबंधित समस्त औपचारिकताए पूर्ण नहीं की गई हैं।

परिवहन कार्यालयों में ऐसे आवेदन पत्र भी प्रस्तुत किये जाते हैं जिनमें आवेदक का स्वयं कार्यालय में उपस्थित होना अनिवार्य है। चालक लाइसेंस एवं इससे जुड़ी सेवाए ऐसी ही सेवाए है जिनमें आवेदक का कार्यालय में आना अनिवार्य है एवं सभी परिवहन कार्यालयों में ये सेवाए स्मार्ट कार्ड पर दी जा रही हैं। अतः विभाग का यह स्पष्ट मत है कि ऐसे आवेदकों को स्मार्ट कार्ड आधारित चालक लाइसेंस भी उसी दिन उपलब्ध करवा दिया जावे जिस दिन आवेदक कार्यालय में उक्त सेवाओं को प्राप्त करने हेतु आ रहा है। इससे आवेदक को पुनः परिवहन कार्यालय में आने की आवश्यकता नहीं होगी।

5. चूंकि राज्य सरकार के सभी राजकीय कार्यालयों, जिसमें परिवहन विभाग भी शामिल है, का कार्यालय समय प्रातः 9.30 से सांयकाल 6.00 बजे तक होता है, तथा सामान्यतः इस अवधि में ही प्राप्त आवेदन पत्रों को निस्तारित भी किया जाना होता है। परिवहन कार्यालयों में उपलब्ध संसाधनों, कार्यालय समयावधि एवं प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या को दृष्टिगत् रखते हुए एवं आमजन की सुविधा हेतु सभी प्रादेशिक/जिला परिवहन अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे कार्यालय में प्राप्त आवेदन पत्रों का निस्तारण निम्न समयावधि व प्रक्रिया अनुसार जारी करना सुनिश्चित करेंगे:-

(1) कार्यालयों में लर्नर लाइसेंस के दो प्रकार के आवेदन पत्र प्राप्त होते हैं, एक ऐसे आवेदन पत्र जिसमें प्रार्थी का यातायात नियमों का परीक्षण टच स्क्रीन कियोस्क (Touch Screen Kiosk) पर लिया जाना अनिवार्य है। ऐसे आवेदकों को परीक्षण में उत्तीर्ण होने पर अविलम्ब उसी दिन लर्नर लाइसेंस उपलब्ध करवाया जायेगा। वहीं दूसरी श्रेणी में ऐसे आवेदन पत्र है जिसमें लर्नर लाइसेंस जारी करने के लिये आवेदक को मोटर वाहन अधिनियम 1988 एवं इसके अधीन बने नियमों के तहत् यातायात नियमों के परीक्षण से छूट प्राप्त है। ऐसे आवेदकों को उनके द्वारा

९२

कार्यालय में प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच के उपरान्त अविलम्ब उसी दिन लर्नर लाइसेंस जारी कर उपलब्ध कराया जाये। अर्थात दोनों श्रेणी के आवेदकों को उसी दिन लर्नर लाइसेंस तैयार कर उन्हें उपलब्ध करवाया जाना सुनिश्चित किया जावे, ताकि प्रार्थी को दुबारा कार्यालय में लर्नर लाइसेंस प्राप्त करने हेतु नहीं आना पड़े।

(2) जहां तक चालक लाइसेंस एवं इनसे संबंधित सेवाओं को स्मार्ट कार्ड पर जारी करने का प्रश्न है, इस हेतु यह आवश्यक है कि सभी कार्यालयों में समुचित संख्या में ब्लैंक कार्ड उपलब्ध हों। इस सम्बन्ध में यह स्पष्ट किया जाता है कि सभी अधिनस्थ कार्यालयों में ब्लैंक स्मार्ट कार्ड की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु विभागीय आदेश संख्या 5/2016 दिनांक 14.03.2016 को जारी किया गया है। इस आदेश में दिये गये निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जावे ताकि सभी कार्यालयों में न्यूनतम 15 दिवस की आवश्यकता के बराबर ब्लैंक स्मार्ट कार्ड सदैव उपलब्ध रहें।

(3) सभी प्रादेशिक/जिला परिवहन कार्यालयों में चूंकि ऊपर वर्णित क्रम संख्या 4 में क्रमशः वर्णित (क) एवं (ख) श्रेणी के आवेदकों के आवेदन पत्र प्राप्त होंगे। ऐसी परिस्थिति में इस प्रकार के आवेदन पत्रों का निस्तारण निम्नानुसार किया जावेगाः–

(अ) श्रेणी (क) के ऐसे आवेदकों, जिनके द्वारा इस श्रेणी के लिये आवश्यक औपचारिकताए अपरान्ह 03.00 बजे तक पूरी कर दी गई हों, को उसी दिन स्मार्ट कार्ड तैयार कर आवेदक को उपलब्ध करवाया जाना सुनिश्चित किया जावे। इन आवेदन पत्रों में वाहन चालक लाइसेंस एवं इससे सम्बन्धित सभी सेवाऐं यथा चालक लाइसेंस नवीनीकरण, डुप्लीकेट चालक लाइसेंस, पार्थी को पूर्व में जारी लाइसेंस में नवीन श्रेणी के लाइसेंस सम्मिलित करना, चालक लाइसेंस में पता परिवर्तन करना इत्यादि से संबंधित आवेदन पत्र सम्मिलित है।

(ब) श्रेणी (क) के ऐसे आवेदकों, जिनमें आवेदक के स्तर पर वांछित औपचारिकताए अपरान्ह 03.00 बजे के पश्चात् पूरी की गई हैं, को स्मार्ट कार्ड आगामी कार्यदिवस को उपलब्ध करवाया जाना सुनिश्चित किया जावे।

(स) श्रेणी (ख) के आवेदकों, द्वारा वांछित सभी औपचारिकताए जिस दिन भी अपरान्ह 03.00 बजे तक पूर्ण कर दी गई हों, को स्मार्ट कार्ड चालक लाइसेंस उसी दिन उपलब्ध करवाया जाना सुनिश्चित किया जावे। वहीं अगर आवेदक के स्तर पर आवश्यक औपचारिकताए अपरान्ह 03.00 बजे के पश्चात् पूरी की जाती हैं तो ऐसे आवेदकों को स्मार्ट कार्ड आगामी कार्यदिवस को उपलब्ध करवाया जाना सुनिश्चित किया जावे।

(द) प्रादेशिक परिवहन अधिकारी कार्यालय में अंतर्राष्ट्रीय चालक लाइसेंस के आवेदकों के समुचित रूप से नियमानुसार सही पाये गये आवेदन पत्रों का

निस्तारण कर यह लाइसेंस भी आवेदक को उसी दिन उपलब्ध करवाया जाना सुनिश्चित किया जावे।

(4) लाइसेंस अधिकारी के अवकाश पर होने अथवा भ्रमण पर होने की अवस्था में लिंक अधिकारी द्वारा आवश्यक रूप से आवेदन पत्रों को निस्तारित किया जाये, ताकि उक्त व्यवस्था नियमित एवं सुचारू रूप से चल सके।

उक्त आदेशों की पालना सभी प्रादेशिक/जिला परिवहन अधिकारियों को उनके कार्यालयों में दिनांक 29.03.2016 तक सुनिश्चित की जानी है एवं पालना रिपोर्ट भी अद्योहस्ताक्षरकर्ता को लिखित में एवं ई–मेल के माध्यम से भी दी जानी सुनिश्चित की जावे।

उक्त आदेशों की अक्षरशः पालना सुनिश्चित की जावे। पालना नहीं करने पर संबंधित के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

(पवन कुमार गोयल)
परिवहन आयुक्त एवं
प्रमुख शासन सचिव

क्रमांक :– एफ 25(45)/परि/कम्प्यू/पार्ट–II/12/5802-09 जयपुर, दिनांकः 21-3-2016

<u>प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–</u>

1. विशिष्ट सहायक, माननीय परिवहन मंत्री।
2. निजी सचिव, परिवहन आयुक्त एवं प्रमुख शासन सचिव।
3. समस्त मुख्यालय अधिकारीगण।
4. समस्त प्रादेशिक/अति. प्रादेशिक परिवहन अधिकारी।
5. समस्त जिला परिवहन अधिकारी।
6. जन सम्पर्क अधिकारी।
7. श्री संजय सिंघल, एस.ए. को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
8. रक्षित प्रत्रावली।

21/3/2016

(हंस कुमार शर्मा)
अपर परिवहन आयुक्त (आई.टी.)